न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 07/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2017/00003

उनवान

रामचरन पुत्र कंचन जाति धाकड निवासी गोबरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुरारीलाल
2. जवाहर सिंह
3. गोरधन सिंह
4. कुँवर सिंह
5. सरदार सिंह
6. पांची पत्नी रामकिशन

पुत्रगण रामकिशन, जाति धाकड नि0 गोबरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 23.01.2017 प्रकरण संख्या 82/2016 उनवानी रामचरन बनाम मुरारीलाल।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 298 रकवा 05 बीघा 01 विस्वा वाके ग्राम गोठरा तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी/अपीलाण्ट 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी कस्टोडियन आराजी है जो कि संवत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2010 से पूर्व से ही प्रार्थी के पिता कंचन व खुन्नी कि काश्त में आ गई है। परन्तु संवत 2013 में अचानक बन्दोबस्त कर्मचारियो से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के पिता/पति रामकिशन ने मिल्लत करके उक्त आराजी में वादी/अपीलाण्ट के पिता कंचन के निस्फ हिस्से में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से स्वयं को व वादी/अपीलाण्ट के पिता कंचन को वहिस्सा बराबर का इन्द्राज दर्ज करवा लिया जो खिलाफ मौका एवं कानून हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी/रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संवत 2012 में रैस्पो0 के पिता रामकिशन का इन्द्राज दर्ज नहीं है परन्तु अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। इसके अलावा स्वयं रैस्पो0 यह स्वीकार करते हैं कि संवत 2009 से 2012 तक उनके पिता रामकिशन के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नहीं हैं और संवत 2013 में इन्द्राज पुनः आये। इसका तात्पर्य है कि रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट ने वादपत्र व प्रार्थना पत्र वर्तमान इन्द्राजो को कलमजन कर दुरूस्ती किये जाने व खातेदारी घोषित किये जाने हेतु पेश किया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत घोषणात्मक वादपत्र से ही सम्भव है परन्तु अदालत तहत का यह तर्क कि आराजी राजस्थान सरकार की भूमि है जिस पर आरटीएक्ट के अनुसार खातेदारी कैसे मिल सकती है, समझ के परे है। अपने तर्को के समर्थन में फोटो प्रति आदेश जिला कलक्टर, भरतपुर, आरओटी 2013(2) पेज 1060 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी के 1/4 भाग पर रैस्पो0 के पिता रामकिशन संवत 2008 से बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में अंकित है। राजस्व कर्मचारियो की गलती से सहवन से रैस्पो0 के पिता का नाम संवत 2010 में खसरा गिरदावरी में इन्द्राज करने से छूट गया था। जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुनः संवत 2013 में अंकित कर दिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि है एवं कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक नजीर आरआरडी 2018 पेज 361, 403, 1988 पेज 641 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी में ईश्वरीया प्रसाद दयाल सिंह पिसरान गिर्राज हिस्सा बराबर 1/2 खातेदार रहन एसबीआई भुसावर, रामचरन पुत्र कंचन 1/4 मुरारीलाल, जवाहर सिंह, गोरधन सिंह, कुँवर सिंह, सरदार सिंह पिसरान रामकिशन व पॉची वेवा रामकिशन व हिस्सा बराबर 1/4 कौम धाकड साकिन देह गैर खातेदार कस्टोडियन साल 62 दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलाण्ट की आपत्ति है कि विवादित आराजी पर संवत 2010 के पूर्व से ही अपीलाण्ट के पिता कंचन व खुन्नी कि काश्त में दर्ज रही है। परन्तु संवत 2013 में अचानक बन्दोबस्त कर्मचारियो से रैस्पो0 के पिता/पति रामकिशन ने मिल्लत करके उक्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता कंचन के निस्फ हिस्से में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से स्वयं को व अपीलाण्ट के पिता कंचन को वहिस्सा बराबर का इन्द्राज दर्ज करवा लिया जो खिलाफ मौका एवं कानून हैं। अपीलाण्ट की उक्त आपत्तियॉ विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूलवाद में तय होगी। फिलहाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हमें केवल प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन को देखना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069–72 अनुसार विवादित आराजी में रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। अतः एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना हम उचित नही समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार की विधी की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.01.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर